



**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**  
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

अधिसूचना संख्या:- 08

पटना, दिनांक:- 18.9.2020

**अधिसूचना**

पर्षद मंडल की 109वीं बैठक दिनांक 10.09.2020 के कार्यावली संख्या-17 में लिये गये निर्णयानुसार पर्षद से सहमति प्राप्त किये बगैर संचालित औद्योगिक इकाईयों को सहमति आवेदन के साथ देय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना हेतु न्यूनतम इकाई एक माह निर्धारित की जाती है। एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जायेगी।

यह निर्णय अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-

(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक:- 1100

पटना, दिनांक:- 18.9.2020

प्रतिलिपि:- पर्षद विश्लेषक/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी सहायक पर्यावरण अभियंता/सभी सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी/विधि शाखा/सहायक प्रोग्रामर को सूचनार्थ। सहायक प्रोग्रामर अधिसूचना को पर्षद के वेबसाईट पर अपलोड सुनिश्चित करेंगे।

 18/9/20

(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव